1-12-17 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित।
पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्य में व्यस्त है। अवकाश पर
[illegible] सुनवाई हेतु पत्रावली
दिनांक 05/1/18 [illegible]

रीडर

05/1/18 पत्रावली पेश। वकुलाय उप। अग्रिम तिथि
23/2/18 को पेश हो।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

23/2/18 पत्रावली पेश। वादी या वकील वादी कोई
उपस्थित नहीं आये। बार-बार अवसर लगाया गया। अब
नोटिस का जवाब लगा दिया गया। अन्तिम का जवाब लगा दिया गया।
कोई उपस्थित नहीं आये और न ही कोई प्रार्थना पत्र
उपस्थित आये। अतः वादी के वाद की अग्रिम कार्यवाही
इसी स्तर पर छोड़ कर अग्रिम हकदार अन्य पैरवीकार
वादी किया जाता है। पत्रावली निस्तारित की जाकर
मय के कागजात बाद तहसील जमा किया जावे
मण्डल हो। शुभायाजाय।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner